न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. केम्प कोर्ट पं.सं.सिरोही सभा भवन.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही		1– श्री मनाराम पुत्र हीमाजी जाति मेघवाल निवासी खाम्बल 1/2 2– रोहित महावर पुत्र रामजीलाल म्हावर जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर 1/2

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से तहसीलदार,सिरोही श्री रणवीरसिंह चौहान
2– अप्रार्थी सं. मनाराम व अप्रार्थी सं.2 रोहित महावर स्वंय
तथा इनके वकील श्री कुलदीप शर्मा

प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत

आदेश दिनांक 30–6–2018

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 24–3--2017 को न्यायालय पेश कर कथन कि प्रार्थी ने सर्वथा गलत आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है के प्रावधान जो इस प्रकरण मे लागू नही होते है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया हुआ है एवं न ही कंकरीट की सडके बनाई गई है। उक्त कृषि भूमि मोके पर आज भी कृषि भूमि है। जिसकी ताईद भू.अ.नि. की रिर्पोट दिनांक 7–2–2017 से भलीभांति प्रमाणित है। उक्त रिर्पोट के साथ ब्यान गवाह बदाराम,मौका पर्चा,ब्यान रोहित महावर,ब्यान मनीया उर्फ मानाराम मेघवाल के लिये जाकर उपरोक्त भू.अ.नि. ने दिनांक 7–2–2017 को रिप्रेट के साथ उपपंजियक महोदय सिरोही को प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर उप पंजियक सिरोही ने उनके आदेश दिनांक 8–2–2017 कमांक 2017/696 के जरिये सम्पर्क पोर्टल मे दर्ज शिकायत को गलत होना एवं निरस्त योग्य होना माना है। इस प्रकार प्रार्थी के दस्तावेजात एवं आदेशानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 177 आर.टी. एक्ट के तहत यह प्रकरण विधि मे वर्जित है जिससे यह प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार विधि मे परिपोषणीय नही है एवं काबिल खारिज के है। अतः अप्रार्थीगण का नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का विचाराधीन राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्राथीगण खारिज कराना फरमावें । विचाराधीन प्रकरण की यह पत्रावली वास्ते प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के जवाब/बहस हेतु दिनांक 23–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे रखी गई । जिस पर विचाराधीन प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणो का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे मेरे समक्ष पेश हुई ।

विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही श्री रणवीरसिंह चौहान तथा स्वंय अप्रार्थी संख्या एक श्री मनाराम मेघवाल तथा स्वंय अप्रार्थी संख्या दो श्री रोहित महावर तथा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से इनके वकील श्री कुंलदीप शर्मा ने वकालतनामा पेश किया,जिसे शा.मि. किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 30/06

स्टेट बनाम मनाराम वगैरहा
प्रकरण संख्या 242/2016
अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट

दौराने सुनवाई प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने उक्त प्रार्थनापत्र का आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब देने की आवश्यकता नही बताये जाने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब बंद किया किया । सुनवाई के दौरान ही प्रार्थी स्टेट तहसीलदार /सिरोही ने उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सीधी बहस करने का निवेदन करने से उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.पी. पर प्रार्थी तहसीलदार /सिरोही द्वारा बहस करने से बहस सुनी गई ।

प्रार्थी तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे उनके (तहसीलदार/सिरोही) द्वारा प्रस्तुत जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2016/2778 दिनांक 19–9–2016 द्वारा इस विचाराधीन मूल राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा खाम्बल के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 320 की भूमि के खातेदार श्री मनाराम पुत्र हीमाजी जाति मेघवाल निवासी खाम्बल 1/2 श्री रोहित महावर पुत्र रामजीलाल महावर जाति कोली निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर के खसरा नंबर 417/418/422/423/424/425/428/429 किता 8 कुल रकबा 8.0100 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार श्री मनाराम ने दिनांक 8–6–2016 को उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रोहित महावर द्वारा बेनामी भूमि खरीद करने के संबंध मे शिकायत प्रस्तुत करने पर भू.अ.नि. कृष्णगंज से जांच करवाने पर अप्रार्थीगणों द्वारा खसरा नंबर 417/418/428/व 429 की भूमि पर कंकरीट की सडके बनाई जाना तथा मौके पर 16 ब्लॉक वाईज सडके बनी हुई पायी व मौके पर गोकुलधाम बिल्डिंग प्रा.लि. द्वारा "केशव माउण्ट वैली 4 " नाम का विज्ञापन बोर्ड लगाया है जिस पर 500/1000/तथा 2000 वर्गफीट के प्लॉट बेचने के विज्ञापन लगे हुये है। भूमि के लिये गये छाया चित्र पत्रावली के संलग्न है। अप्रार्थीगणों ने खसरा नंबर 417/418/428 व 429 की भूमि मे कॉटे गये प्लॉट खरीदने हेतु फर्म द्वारा आवेदन पत्र/कार्यालय टिप्पणी फार्म/इकरारनामा फार्म/योजना के आवश्यक दिशा निर्देश संबंधी 13 सूत्री फार्म/भुगतान प्राप्ति रसीद प्रारूप आदि तैयार किये है जिसकी प्रतियॉ संलग्न है। अप्रार्थीगणों ने खसरा नंबर 417/418/428/व 429 की कृषि भूमि का अकृषि मे आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाये बिना मौके पर प्लॉट काटना/सडके बनाने तथा प्लॉट विक्रय हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र तैयार कर उक्त कृषि भूमि का गैरकृषिक उपयोग किया जाने से अप्रार्थीगणों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया गया हैं । अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज कराने के आदेश करवाना फरमावें ।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपने उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने सर्वथा गलत आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है के प्रावधान जो इस प्रकरण मे लागू नही होते है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया हुआ है एवं न ही कंकरीट की सडके बनाई गई है। उक्त कृषि भूमि मोके पर आज भी कृषि भूमि है। जिसकी ताईद भू.अ.नि. की रिर्पोट दिनांक 7–2–2017 से भलीभांति प्रमाणित है। उक्त रिर्पोट के साथ ब्यान गवाह बदाराम/मौका पंर्चा/ब्यान रोहित महावर/ब्यान मनीया उर्फ मानाराम मेघवाल के लिये जाकर उपरोक्त भू.अ.नि. ने दिनांक 7–2–2017 को रिप्रेट के साथ उपपंजियक महोदय सिरोही को प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर उप पंजियक सिरोही ने उनके आदेश दिनांक 8–2–2017 क्रमांक 2017/696 के जरिये सम्पर्क पोर्टल मे दर्ज शिकायत को गलत होना एवं निरस्त योग्य होना माना है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

प्रार्थी के दस्तावेजात एवं आदेशानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत यह प्रकरण विधि मे वर्जित है जिससे यह प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार विधि मे परिपोषणीय नही है एवं काबिल खारिज के है। अतः अप्रार्थीगण का नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का विचाराधीन राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्राथ्रीगण खारिज कराना फरमावें ।

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न वकील अप्रार्थीसंख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के साथ साथ सम्पूर्ण पत्रावली का समानान्त गहनता से अध्ययन कर उस पर मनन किया । प्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी विचाराधीन प्रकरण मे राजस्व लोक अदालत मे पक्षकारान की सुनवाई के वक्त खाम्बल मे प्रकरण की वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु संबंधित पटवारी हल्का खाम्बल व भू.अ.नि. के साथ मय राजस्व रेकर्ड के अप्रार्थीगण के मौजा खाम्बल के खसरा नंबर 417,418,428 व 429 की कृषि भूमि का मौका जांच करने के उपरान्त तथा विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन उपरान्त यह स्थिति पाई गई कि मौके एवं रेकर्ड के आधार पर मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार मौके पर उक्त खसरा नंबरान की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया हुआ है। उक्त भूमि मौके पर आज भी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर वर्तमान मे कृषि उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि पर मौके पर किसी तरह की वाणिज्यिक गतिविधियॉ चालु नही होना पाया गया हैं। प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया हुआ है एवं न ही कंकरीट की सडके बनाई गई है। उक्त कृषि भूमि मोके पर आज भी कृषि भूमि है। जिसकी ताईद भू.अ.नि. की रिर्पोट दिनांक 7–2–2017 से भलीभांति प्रमाणित है। उक्त रिर्पोट के साथ ब्यान गवाह बदाराम,मौका पर्चा,ब्यान रोहित महावर,ब्यान मनीया उर्फ भानाराम मेघवाल के लिये जाकर उपरोक्त भू.अ.नि. ने दिनांक 7–2–2017 को रिप्रेट के साथ उपपंजियक महोदय सिरोही को प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर उप पंजियक सिरोही ने उनके आदेश दिनांक 8–2–2017 क्रमांक 2017/696 के जरिये सम्पर्क पोर्टल मे दर्ज शिकायत को गलत होना एवं निरस्त योग्य होना माना है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने विचारण यह प्रकरण अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पेश किया है जो उक्तानुसार विधि मे वर्जित है। धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधान विचारण प्रकरण मे अप्रार्थीगण पर लागु नही होते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार ,सिरोही द्वारा प्रस्तुत मूल विचाराधीन राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्राथ्रीगण संख्या 1 व 2 को भी विधि विरूद्व व परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30–6–2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.सं.सिरोही के सभा भवन मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

30/6/18
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सिरोही (राज.) 307001

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

30/6/18
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) 307001

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)